भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3561
जिसका उत्तर मंगलवार, 24 मार्च, 2026 को दिया जाएगा

उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक के रुझान

3561 श्री के. आर. एन. राजेश कुमार:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद से उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) का माह-वार रुझान क्या रहा है तथा आवश्यक दालों और खाद्य तेलों की कीमतों में निरंतर अस्थिरता के क्या कारण हैं;

(ख) मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) बफर में वर्तमान में खाद्यान्न और दालों की कुल कितनी मात्रा रखी गई है तथा परिवार की क्रय शक्ति को सुरक्षित करने के लिए पिछली तिमाही में किए गए लक्षित खुदरा अंतःक्षेपों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने कालाबाजारी या जमाखोरी के मामलों, जो कृत्रिम मूल्य वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं, का पता लगाने के लिए निजी शीतागार सुविधाओं की देशव्यापी संपरीक्षा कराई है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री बी. एल. वर्मा)

(क): फरवरी 2026 और मार्च 2026 में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित जनवरी 2026 और फरवरी 2026 (अनंतिम) के लिए उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) निम्नानुसार हैं:

	जनवरी 2026 (अंतिम)			**फरवरी 2026 (अनंतिम)**		
	ग्रामीण	**शहरी**	**संयुक्त**	**ग्रामीण**	**शहरी**	**संयुक्त**
उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई)	103.89	104.31	104.04	103.79	104.04	103.88

खाद्य पदार्थों की कीमतें अस्थिर रहती हैं क्योंकि ये उत्पादन में मौसमीपन, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि आदि कई कारकों से प्रभावित होती हैं। उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा निगरानी किए जाने वाले 40 खाद्य पदार्थों के दैनिक खुदरा मूल्यों के साथ-साथ सीपीएफआई के आंकड़ों से पता चलता है कि दालों की कीमतें स्थिर हैं। खाद्य तेलों के मामले में, भारत का घरेलू उत्पादन मांग से कम है, जिससे आयात पर भारी निर्भरता है और कीमतें वैश्विक बाजार के रुझानों के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं। भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण वैश्विक अस्थिरता में वृद्धि और माल ढुलाई और बीमा लागत में वृद्धि आदि ने खाद्य तेलों की कीमतों में अस्थिरता को और बढ़ा दिया है।

(ख): मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के अंतर्गत, दाल और प्याज का बफर स्टॉक रणनीतिक बाजार हस्तक्षेपों के लिए बनाए रखा जाता है ताकि उपभोक्ताओं को ये खाद्य पदार्थ किफायती कीमतों पर उपलब्ध हो सकें। मूल्य स्थिरीकरण बफर और मूल्य समर्थन स्कीम (पीएसएस) के अंतर्गत स्टॉक सहित सरकार के पास दालों का कुल स्टॉक 25.35 लाख मीट्रिक टन है। पीएसएफ के अंतर्गत रबी-2025 से खरीदे गए प्याज को सितंबर 2025 से उपभोक्ताओं को रियायती कीमतों पर खुदरा बिक्री के लिए जारी किया गया था। दाल के मामले में, बाजार मूल्य स्थिर होने के कारण मार्च 2025 में भारत दाल तंत्र के अंतर्गत खुदरा हस्तक्षेप बंद कर दिए गए थे।

(ग) दालों की उपलब्धता की निगरानी के लिए, उपभोक्ता मामले विभाग ने स्टॉक रखने वाली संस्थाओं, जैसे व्यापारियों, मिल मालिकों, आयातकों और संगठित खुदरा श्रृंखलाओं को विभाग द्वारा विकसित स्टॉक प्रकटीकरण पोर्टल के माध्यम से साप्ताहिक आधार पर अपने भंडार का खुलासा करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा जमाखोरी और कालाबाजारी के विरुद्ध की गई कार्रवाइयों की ऑनलाइन एटीआर पोर्टल के माध्यम से नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के तहत प्रवर्तन उपायों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
